

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
**आदेश**

संचिका संख्या - 15/खा0-15-01/2015 ...../स्वा0, पटना, दिनांक - .....

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) के संकल्प संख्या-3/एम-78/2005-2401/कार्मिक, दिनांक 18.07.2007 के कंडिका- 04 के आलोक में खाद्य संरक्षा संवर्ग के खाद्य संरक्षा अधिकारी के 91 रिक्त पदों के विरुद्ध अल्पकालीन संविदागत नियुक्ति के लिए 7वाँ वेतन पुनरीक्षण के अनुसार मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति की दिनांक-08.07.2019 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में खाद्य संरक्षा अधिकारी के स्वीकृत वेतनमान को दृष्टिपथ में रखते हुए खाद्य संरक्षा अधिकारी का मानदेय निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है -

क्रम सं०	पद	7वें वेतनमान के आधार पर कुल मानदेय			
		पे मैट्रिक्स में लेवल एवं न्यूनतम मूल वेतन	महँगाई भत्ता (12%)	कुल योग	निर्धारित मानदेय (रुपया में)
1	खाद्य संरक्षा अधिकारी	लेवल - 6 वेतन- 35,400	4248	39648	40000/-

2. उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(डॉ० राजीव कुमार)

अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

पटना, दिनांक - .....

प्रतिलिपि - महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 940(15)

पटना, दिनांक - 30/7/19

प्रतिलिपि - विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वित्त विभाग, के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग,  
बिहार, पटना।